ICC द्वारा व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

प्रिलिम्स के लिये:

ICC, ICJ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद।

मेन्स के लिये:

महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान।

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने **राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन** और एक अन्य रूसी अधिकारी पर युद्ध अपराधों के लिये गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

- यह पहली बार है जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद **के पाँच स्थायी सदस्यों में से एक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट** जारी किया है।

ICC द्वारा व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कारण:

- ICC ने यूक्रेन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से **बच्चों को रूसी संघ में गैरकानूनी रूप से निर्वासित करने एवं स्थानांतरित करने** के कथित युद्ध अपराध के लिये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC):

- अधिक न्यायपूर्ण विश्व बनाने की दिशा में 120 देशों द्वारा 17 जुलाई, 1998 को रोम संविधि को अपनाया गया था।
- **रोम संविधि 1 जुलाई, 2002 को लागू हुई, 60 राज्यों के अनुसमर्थन के बाद आधिकारिक तौर पर ICC की स्थापना की गई**। ICC इस तारीख को या उसके बाद किये गए अपराधों से निपटता है क्योंकि इसका कोई पूर्वव्यापी क्षेत्राधिकार नहीं है।
- रोम संविधि, चार मुख्य अपराधों पर **ICC को अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है:**
    - **नरसंहार का अपराध**
    - **मानवता के विरुद्ध अपराध**
    - **युद्ध संबंधी अपराध**
    - **आक्रामकता का अपराध**
- न्यायालय **अराजकता को समाप्त करने की वैश्विक लड़ाई में भाग ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम** से यह उन लोगों को उनके अपराधों हेतु ज़िम्मेदार ठहराने एवं भविष्य में होने वाले समान अपराधों को रोकने में मदद करने का समर्थन करता है।
- **ICC दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है।**
- वर्तमान में रोम संविधि के पक्षकार देशों की संख्या 123 है, हालाँकि **भारत, अमेरिका और चीन रोम संविधि के पक्षकार नहीं है।**
- किसी देश की अपनी कानूनी मशीनरी के कार्य करने में विफल होने की स्थिति में ICC की स्थापना जघन्यतम अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिये की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय **(International Court of Justice- ICJ)**, जो **देशों और अंतर-राज्यीय** विवादों से निपटता है, के विपरीत ICC व्यक्तियों पर मुकदमा दायर करता है।

ICC और ICJ में अंतर:

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत **ICC** संयुक्त राष्ट्र **प्रणाली का हिस्सा नहीं है** बल्कि UN-ICC संबंध एक अलग समझौते द्वारा शासित हैं।
- ICJ, जो **संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों** में से एक है, मुख्य रूप से राष्ट्रों के बीच विवादों के मामले को सुनता है। यह 1945 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में स्थित है।

क्या ICC के पास रूस पर अभियोग चलाने की शक्ति है?

- मार्च 2023 तक **रूस रोम संविधि का पक्षकार नहीं है** और इसलिये **ICC के पास अपने क्षेत्र में किये गए अपराधों पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है।** हालाँकि ICC अन्य देशों के व्यक्तियों द्वारा किये गए अपराधों की जाँच और उन पर अभियोग शुरू कर सकता है, जिन्होंने **रोम संविधि** के पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र में कथित अपराध किये हैं।
- यूक्रेन भी रोम संविधि का सदस्य नहीं है, लेकिन **संविधि के अनुच्छेद 12(3)** के तहत **उसने दो बार रोम संविधि के तहत अपने क्षेत्र में हो रहे कथित अपराधों पर ICC के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने के लिये अपने विकल्पों का प्रयोग** किया है।
    - **अनुच्छेद 12(3)** में कहा गया है कि यदि किसी ऐसे **राज्य** जो कानूनी पक्षकार नहीं है, **संबंधित अपराध के लिये रजिस्ट्रार को एक घोषणा करके** और बिना किसी देरी या अपवाद के सहयोग कर **न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर सकता है।**

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/icc-issues-arrest-warrant-for-vladimir-putin